# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
# जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह (आर.ए.एस.)
**पत्रावली संख्या 09/2015**
**किस्म :– अपील**
**दायर दिनांक : 21.08.2015**

**निर्णय दिनांक : 13.05.2025**

**अनवान**

हीरा पिता उदा जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

**<u>बनाम</u>**

1. थाना पिता सवा जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.) मृतक के बजाय

   1/1– गेहरी बाई पत्नी थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/2– बाबुलाल पिता थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/3– गौतम पिता थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/4– दिनेश पिता थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/5– गोविन्द पिता थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/6– सज्जन पुत्री थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/7– भूला देवी पुत्री थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)

   1/8– लीला देवी पुत्री थाना जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
2. भंवरलाल पिता सवला जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
3. बगसू पिता सवला जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
4. हंजा बेवा सवला जाति रेबारी निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
5. ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 22.09.1981 ग्राम पंचायत सेलागुढा, तहसील आमेट जिला राजसमंद

अपीलान्ट की ओर से :– अधिवक्ता मुकेश देवपुरा
रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से :– अधिवक्ता किशनलाल शर्मा

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने श्री सवा पिता नथा जी जाति रेबारी निवासी सेलागुड़ा तहसील आमेट तत्कालिन जिला उदयपुर से उसके खातेदारी, आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सेलागुड़ा तहसील आमेट में स्थित साबिक आराजी नंबर 310 रकबर 14 बिस्वा, आराजी नंबर 311 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 312 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नंबर 314 में से रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा व आराजी नंबर 309 आराजी चाह का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.11.1974 से खरीद की एवं मौके पर अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का कब्जा विक्रेता श्री सवा पिता नथा जी रेबारी निवासी सेलागुड़ा से प्राप्त कर लिया। प्रमाण–स्वरूप रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 05.11.1974 जिसका कि निष्पादन दिनांक 27.08.1974 को हुआ एवं पंजीयन दिनांक 05.11.1974 को हुआ, की फोटो प्रति प्रस्तुत हैं। खरीद की दिनांक से ही अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर कब्जा, काश्त कर रहा हैं तथा अपीलान्ट ने भूमि खरीदने के पश्चात् उक्त खरीदशुदा भूमि को उसके नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का सेलागुड़ा को नामान्तरकण दर्ज करने हेतु विकय विलेख की फोटो प्रति दी, लेकिन उसी समय तहसील आमेट में सेटलमेन्ट की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। जिस कारण नामान्तरकरण साबिक आराजी नंबर के आधार पर दर्ज नहीं हो सका। तत्पश्चात् पटवारी हल्का सेलागुड़ा ने उक्त विकय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 29.03.1981 को भरकर खसरा मिलान से साबिक आराजी एवं नवीन नंबर का गिलान कर पेश किया तथा ग्राम पंचायत सेलागुड़ा में उक्त नामान्तरकरण पेश हुआ, जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत सेलागुड़ा ने दिनांक 22.09.1981 को अपीलान्ट की बिना जानकारी एवं मौजुदगी में इस आधार पर खारिज कर दिया "पार्टी उपस्थित नहीं हैं, अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता हैं।" परिणामस्वरूप अपीलान्ट के नाम आज दिन तक भूमि रजिस्टर्ड विकय विलेख से खरीदने के बावजूद भी राजस्व रेकॉर्ड में नाम पर दर्ज नहीं हुई। नामान्तरकरण संख्या 51 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया एवं जिसे ग्राम पंचायत सेलागुडा ने खारिज कर दिया, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अपीलान्ट यहीं समझता रहा कि उसकी खरीदशुदा भूमि उसके खाते दर्ज हो गई, और अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर कब्जा, काश्त कर रहा हैं। अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि के बाद सेटलमेन्ट जो नवीन नंबर बने। साबिक आराजी नंबर जो विकय पत्र में इन्द्राज हैं जो निम्न है, आराजी नम्बर 310 मे से 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 311 मे से 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 312 मे से 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 314 मे से 03 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 319 का 1/3हिस्सा जो कि आराजी चाह है। उक्त साबिक आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 1208 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1209

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अतः आप श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सेलागुड़ा द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 51 खारिज किया गया है, के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि विक्रय विलेख दिनांक 05.11.1974 में वर्णित साबिक आराजियात तद्नुसार बाद सेटलमेन्ट बने नये आराजी नम्बर 1208 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1209 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1210 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1211 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1212 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1213 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1207 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1205 रकबा 0.2400 हैक्टेयर को अपीलान्ट के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 की ओर से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 फौत होने से दिनांक 12.05.2022 को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र, संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/8, 02, 03, 04, 05 की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से करायी गयी जिसकी ट्रेक रिपोर्ट से जाहिर है कि उक्त रेस्पोडेन्टगण की तामील हुयी किन्तु न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। दिनांक 30.05.2024 को रेस्पोडेन्टगण की तरफ से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने वकालत नामा पेश करने का अवसर चाहा जो दिया गया। दिनांक 04.07.2024 को रेस्पोडेन्टगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं जिससे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस में दिये गये उजरात, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 22.09.1981 का अवलोकन करने से ताईद है ग्राम पंचायत सेलागुढा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 22.09.1981 पार्टी उपस्थित नही होने से निरस्त किया गया जबकि अपीलान्ट्स ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय की थी उसी अनुसार अपीलान्ट्स का नाम खरीदशुदा हिस्से के अनुसार जोडा जाना चाहिए था, जिसे नहीं जोड़ा गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य साबित है।

## –: आदेश :–

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व गांव सेलागुढा पटवार हल्का सेलागुढा तहसील आमेट के ग्राम पंचायत सेलागुढा द्वारा निरस्त नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 22.09.1981 को स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ तहसीलदार आमेट को रिमाण्ड किया जाता है कि समुचित जांच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये नामान्तरण पुनः फैसल करे। निर्णय की प्रति

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

तहसीलदार आमेट को भेजी जावें। तद्नुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

**नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।**

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

निर्णय आज दिनांक को 13.05.2025 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट